

# उत्तर प्रदेश विधान सभा की अनुपूरक कार्य-सूची

शुक्रवार, 09 फाल्गुन, शक संवत् 1941  
(28 फरवरी, 2020 ई0)

XXXX

XXXX

XXXX

85(क)- मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

85(ख)- मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करेंगे।

85(ग)- उप मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

85(घ)- उप मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करेंगे।

85(ङ)- वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

85(च)- वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करेंगे।

85(छ)- श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

85(ज)- श्रम एवं सेवायोजन मंत्री, व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करेंगे।

85(झ)- आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

85(ञ)- आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करेंगे।


XXX

XXX

XXX

लखनऊ:

दिनांक: 28 फरवरी, 2020

आज्ञा से,  
  
(प्रदीप कुमार दुबे)  
प्रमुख सचिव।